



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर


क्र./शैक्षणिक/सम्बद्धता/2018/1409

दिनांक 19 JUL 2018

## // सूचना //

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय के नियमानुसार महाविद्यालय से लिया जाने वाला सम्बद्धता शुल्क/सम्बद्धता-निरंतरता शुल्क/सीट वृद्धि शुल्क, एवं अन्य देय राशि पर 18% जी.एस.टी. लिए जाने के निर्देश है इस परिप्रेक्ष्य में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय/नवीन संकाय/उत्तरवर्ती कक्षाओं की सम्बद्धता/सीट वृद्धि हेतु, एम.पी.ऑनलाईन के द्वारा आवेदन किया गया है, उन महाविद्यालयों को कुल जमा किए गये शुल्क पर, एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्रमांक अंकित किया जा कर 18% जी.एस.टी. विश्वविद्यालय में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना है तथा इसी प्रकार वार्षिक निरंतरता शुल्क देय राशि पर भी कुल शुल्क का 18% जी.एस.टी. जमा करना होगा। उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावे तथा जी.एस.टी. शुल्क जमा कर प्रमाण अभिलेख के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ.क्र./शैक्षणिक/सम्बद्धता/2018/1409

दिनांक 19 JUL 2018

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
3. वित्त नियंत्रक, लेखा विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
4. प्रभारी, ~~कम्प्यूटर~~ सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।  
आई.टी.
5. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की सूचनार्थ प्रेषित।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)